दिनाक 12.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–12 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहारों के सम्बन्ध में कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत जारी एसओपी/ गाइड लाइन्स के क्रम में पुलिस व्यवस्था आदि के दिये दिशा निर्देश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नरेट लखनऊ/गौतबुद्धनगर ,परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को माह अक्टूबर से माह दिसम्बर–2020 तक आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहार तथा नवरात्रि ,दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दिपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस आदि के अवसर पर कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं शासन द्वारा निर्गत एसओपी/गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये उक्त के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये गयेः–

- कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्यौहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स के आने जाने की अनुमति भी नहीं होगी।
- प्रत्येक गतिविधियों के संचालन में (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित कमेटियों/संगठन/ व्यक्तियों के साथ बैठक कर तैयार कर ली जाय।
- शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैन पावर (मानव शक्ति)तैनात किये जाय तथा कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व उ0प्र0शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ आदि हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा फेस कवर्स, मास्क,हैण्ड सेनेटाइजर,साबुन,सोडियम हाइपोक्लोराइड्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।
- थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाय।

- कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग अलग एवं यथा सम्भव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त(गोला)चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाय। प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाय।
- शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (सीसीटीवी)स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय।
- ऐसे सभी कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधार भूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानों की निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग करने की योजना बना ली जाय।
- मूर्तियों के स्थापना, विसर्जन, रामलीला के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुये कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।
- सभी जनपदों में प्रत्येक आयोजन स्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार हेतु पीए स्टिम का उपयोग किया जाय।
- किसी भी कार्यक्रम यथा जयन्ती मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन/जागरण/रामलीला/प्रदर्शनी/रैली/जुलूस आदि के लिये कमिश्नरेट नोयडा एवं लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।

• जनपद बागपत/थाना बालैनी

• पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित दो अपराधी गिरफ्तार,

• 01 अवैध तमंचा 12 बोर , 02 जीवित कारतूस बरामद।

दिनांक 12.10.2020 को थाना बालैनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जाहरबीर बाबा मंदिर के पास से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित दो अभियुक्तों 1–नितिन उर्फ जिन्द 2–राजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, व आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण थाना बालैनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन उर्फ जिन्द निवासी मतानतनगर ,थाना बालैनी जनपद बागपत।

2–राजन निवासी ग्राम बूढ़सैनी ,थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद आगरा/थाना एत्माद्दौला

• 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01खोखा कारतूस,01मोटरसाइकिल, बरामद

दिनांक 11.10.2020 को थाना एत्माद्दौला एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अस्सी फुटा पर मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेरा

बन्दी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के उपरांत पुरस्कार घोषित अपराधी गुड्डू उर्फ राजबहादुर उर्फ अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा, 01 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद आगरा, एटा के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रकाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–213/2007 धारा 223/224 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना एत्माद्दौला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– गुड्डू उर्फ राजबहादुर उर्फ अमित कुमार निवासी–ई0161 फेज द्वितीय ट्रांस यमुना कालोनी, थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा, 01 जीवित कारतूस।
2–मोटर साइकिल ।

जनपद बागपत/थाना दोघट

- **20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूटी गयी खाद्य सामग्री बरामद।**

दिनांक 11.10.2020 को थाना दोघट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दाहा से पुरस्कार घोषित अपराधी बलराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर लूटी गयी खाद्य सामग्री बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दोघट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2020 धारा 395/120बी/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना दोघट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बलराज निवासी साउथ सिविल लाइन,थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगीः—

1— लूटी गई खाद्य सामग्री बरामद।

जनपद गाजियाबाद/थाना मोदीनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल. 32बोर , 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.10.2020 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महेन्द्रपुरी कट के पास से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित उर्फ अनुज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त थाना मोदीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 668/2020 धारा 147/148/149/ 120बी/302/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मोदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंकित उर्फ अनुज निवासी ग्राम जोहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल .32 बोर ,02 जीवित कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना बछरावॉ

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।**

दिनांक 12.10.2020 को थाना बछरावॉ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बछरावॉ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 725/2019 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बछरावॉ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश निवासी रूसतमखेड़ा थाना निगोहा जनपद लखनऊ।

जनपद मेरठ/थाना नौचन्दी

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 12.10.2020 को थाना नौचन्दी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अय्याज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद मेरठ, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना नौचन्दी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अय्याज उर्फ मामा निवासी कस्बा व थाना लालकुर्ती मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस

2–01 मोटरसाइकिल।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 12.10.2020 को थाना गौरीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैंठा चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी बंटी उर्फ संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गौरीगंज से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– बंटी उर्फ संतोष कुमार नि0 ग्राम गहरी बभनपुर थाना लालगंज अझारा प्रतापगढ़।